Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-7| July-2026

Original Article

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन

पंकज कुमार[1], प्रो. दिनेश कुमार गुप्ता [2]

[1](शोधार्थी), शिक्षाशास्त्र विभाग,एच. आर. पी. जी. कॉलेज, खलीलाबाद, संतकबीर नगर, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर

[2](शोध-निर्देशक), शिक्षाशास्त्र विभाग, एच. आर. पी. जी. कॉलेज, खलीलाबाद, संतकबीर नगर, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर

Manuscript ID:
JRD -2026-180728
ISSN: 2230-9578
Volume 18
Issue 7
Pp. 137-142
July- 2026
Submitted: 16 June. 2026
Revised: 26 June. 2026
Accepted: 11 July. 2026
Published: 31 July. 2026

सारांश

शिक्षा एक मानव अधिकार है और यह अन्य सभी मानव अधिकारों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता विभिन्न विभागों के बीच समन्वय है। इसमें दान-मुक्त वातावरण की व्यवस्था है तथा बच्चों और अभिभावकों का साक्षात्कार (इंटरव्यू) समाप्त करने का प्रावधान भी शामिल है। यह शोधपत्र यह बताने में सहायक है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों अधिक महत्वपूर्ण है और भावी शिक्षक को शिक्षा के मूलभूत अधिकारों के प्रति जागरूक क्यों होना चाहिए, ताकि भविष्य की अनिश्चित परिस्थितियों में भी कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के "शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करने का प्रयास किया है। इसके लिए विवरणात्मक सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया। नमूना 10 चयनित विद्यालयों से 120 शिक्षकों का लिया गया, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। नमूना चयन के लिए उद्देश्यपूर्ण पद्धति अपनाई गई। शिक्षकों के दृष्टिकोण को मापने हेतु शोधकर्ताओं ने स्वयं एक प्रश्नावली तैयार की। आँकड़ों के विश्लेषण के लिए माध्य (Mean), मानक विचलन (S.D.) और "t" परीक्षण का उपयोग किया गया।

मुख्य शब्द: *दृष्टिकोण, शिक्षा का अधिकार (RTE) 2009, सरकारी और निजी विद्यालय।*

प्रस्तावना

शिक्षा सतत विकास, शांति और स्थिरता की कुंजी है, चाहे वह देशों के भीतर हो या उनके बीच। यह 21वीं सदी के समाज और अर्थव्यवस्था में प्रभावी भागीदारी का अनिवार्य साधन है, जिसे तीव्र वैश्वीकरण ने गहराई से प्रभावित किया है। वास्तव में, एक मानव अधिकार के रूप में शिक्षा व्यक्ति के अधिकारों की स्वीकृति है, न कि केवल आर्थिक विकास के पूँजीवादी लक्ष्यों में उसकी भूमिका का निर्धारण। शिक्षा का यह अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त करने, आत्म-जागरूक होने और वास्तविक अर्थों में दूसरों से गहराई से जुड़े हुए एक सच्चे व्यक्तित्व के रूप में विकसित होने का मार्ग प्रदान करता है।

शिक्षा का अधिकार – एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

शैक्षिक प्रक्रिया में कई पक्ष शामिल होते हैं – वे जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे जो शिक्षा प्रदान करते हैं और वे जो शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए उत्तरदायी होते हैं। शिक्षा से संबंधित प्रारंभिक विधानों का उद्देश्य इन्हीं विभिन्न पक्षों के बीच जटिल संबंधों में संतुलन स्थापित करना था।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
पंकज कुमार, (शोधार्थी), शिक्षाशास्त्र विभाग, एच. आर. पी. जी. कॉलेज, खलीलाबाद, संतकबीर नगर, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर.

How to cite this article:
कुमार, पंकज. & गुप्ता, दिनेश. कुमार. (2026). शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन. Journal of Research and Development, 18(7), 137–142.
https://doi.org/10.5281/zenodo.21943528

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.21943528
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-7| July-2026

आधुनिक युग में व्यक्ति की स्वतंत्रता ने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों को जन्म दिया, जिनका व्यक्ति और राज्य के संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। व्यक्तियों के अधिकारों की मान्यता और राज्य के कर्तव्यों की स्वीकृति इन्हीं परिवर्तनों का परिणाम और प्रतिबिंब है। मानव अधिकारों के तहत शिक्षा का पहला प्रावधान और राज्य का कर्तव्य सोवियत संघ के *स्टालिन संविधान (1936)* में किया गया था। वस्तुतः शिक्षा का अधिकार सभी समाजवादी देशों के संविधान में एक प्रमुख मौलिक अधिकार रहा है। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए *मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948)* में भी अनुच्छेद 26 के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा के अधिकार का विशेष उल्लेख किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। शिक्षा निःशुल्क होगी, कम से कम प्राथमिक और बुनियादी स्तर पर, तथा यह अनिवार्य होगी। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं की सुदृढ़ता होना चाहिए।

भारत में *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act – RTE)*, जिसे *बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम* भी कहा जाता है, 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा पारित किया गया। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(A) के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है।

शिक्षकों का शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति दृष्टिकोण

भारत 135 देशों में से एक है जिसने प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। यह अधिनियम अगस्त 2009 में पारित हुआ था, लेकिन लगभग 7 महीने तक अधिसूचित नहीं हुआ और अंततः 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। यह भारत की जनता के लिए ऐतिहासिक दिन था क्योंकि उस दिन से शिक्षा का अधिकार, जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21ए) के समान कानूनी दर्जा प्राप्त कर गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को 8 वर्षों की प्राथमिक शिक्षा उसके आसपास के विद्यालय में दी जाएगी। भारत के इतिहास में पहली बार शिक्षा को संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 21ए के अंतर्गत लागू करके इसे मौलिक अधिकार बनाया गया। अब प्रत्येक बच्चा 6 से 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का हकदार है। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21ए जोड़ा गया, जिसके अनुसार सरकारी विद्यालयों में सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी और इन विद्यालयों का प्रबंधन *स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC)* द्वारा किया जाएगा। निजी विद्यालयों के लिए यह प्रावधान है कि वे कम से कम 25% बच्चों को बिना शुल्क के प्रवेश देंगे। "निःशुल्क" का अर्थ है कि राज्य उन सभी वित्तीय बाधाओं को दूर करेगा, जो बच्चे को आठ वर्षों की शिक्षा पूरी करने से रोकती हैं। "अनिवार्य" का अर्थ है प्रत्येक बच्चे का विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति और शिक्षा पूर्ण करना सुनिश्चित करना। यहाँ *अनिवार्यता* का तात्पर्य राज्य और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी से है, न कि माता-पिता को दंडित करने से। हालांकि, माता-पिता का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजें।

अध्ययन के उद्देश्य

- उत्तर प्रदेश जिले में सरकारी विद्यालय के शिक्षकों और निजी विद्यालय के शिक्षकों के *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)* के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
- उत्तर प्रदेश जिले में सरकारी विद्यालय के पुरुष शिक्षकों और महिला शिक्षकों के *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)* के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
- उत्तर प्रदेश जिले में निजी विद्यालय के पुरुष शिक्षकों और महिला शिक्षकों के *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)* के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ

इस अध्ययन के लिए निम्न परिकल्पनाएँ बनाई गईं–

- H_01: *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)* के प्रति दृष्टिकोण में सरकारी विद्यालय के शिक्षकों और निजी विद्यालय के शिक्षकों के बीच कोई महत्वपूर्ण औसत अंतर नहीं है।
- H_02: *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)* के प्रति दृष्टिकोण में सरकारी विद्यालय के पुरुष शिक्षकों और महिला शिक्षकों के बीच कोई महत्वपूर्ण औसत अंतर नहीं है।
- H_03: *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)* के प्रति दृष्टिकोण में निजी विद्यालय के पुरुष शिक्षकों और महिला शिक्षकों के बीच कोई महत्वपूर्ण औसत अंतर नहीं है।

शोध कार्यप्रणाली

शोधकर्ता ने वर्तमान अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 10 चयनित माध्यमिक विद्यालयों से कुल 120 शिक्षकों को नमूने के रूप में चुना। इनमें से 60 शिक्षक सरकारी विद्यालयों से और 60 शिक्षक निजी विद्यालयों से लिए गए। विद्यालयों का चयन यादृच्छिक प्रणाली (Random System) से किया गया, जबकि शिक्षकों के नमूने के चयन हेतु उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण तकनीक (Purposive Sampling Technique) का उपयोग किया गया। अध्ययन के लिए शोधकर्ता द्वारा निर्मित प्रश्नावली का प्रयोग

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-7| July-2026

किया गया। संकलित आंकड़ों के विश्लेषण और व्याख्या के लिए विभिन्न विवरणात्मक सांख्यिकीय माप जैसे *माध्य (Mean), मानक विचलन (Standard Deviation), मानक त्रुटि (Standard Error)* और *t-परीक्षण (t-test)* का उपयोग किया गया। साथ ही जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ सांख्यिकीय आरेख जैसे *बार ग्राफ* का भी प्रयोग किया गया।

विश्लेषण और व्याख्या

डेटा के विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि डेटा को प्रस्तुत करने का उद्देश्य परिणाम को स्पष्ट करना और उसे अधिक प्रभावी तथा समझने में आसान बनाना है। परिणामों के दृश्यात्मक (Visual) प्रस्तुतिकरण से डेटा सरल और स्पष्ट हो जाता है। सांख्यिकीय आंकड़ों का ग्राफ़ या चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण डेटा का ज्यामितीय रूप प्रदान करता है, जिससे आवृत्ति वितरण (Frequency Distribution) की मुख्य विशेषताओं को समझना आसान हो जाता है और लगाए गए सांख्यिकीय विश्लेषण की धारणाओं को देखने में सहायता मिलती है।

H_o1: *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति दृष्टिकोण में सरकारी विद्यालय के शिक्षकों और निजी विद्यालय के शिक्षकों के बीच कोई महत्वपूर्ण औसत अंतर नहीं है।*

तालिका संख्या – 1 शिक्षकों का *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)* के प्रति दृष्टिकोण

शिक्षक का प्रकार	संख्या	माध्य (Mean)	मानक विचलन (SD)	मानक त्रुटि (SED)	"t" मान	स्वतंत्रता की डिग्री (df)	महत्व का स्तर (Level of significance)	परिणाम
सरकारी विद्यालय शिक्षक	60	69.76	6.34	6.28	0.4039	118	0.05 → 1.98	स्वीकार
निजी विद्यालय शिक्षक	60	64.88	6.55				0.01 → 2.62	स्वीकार

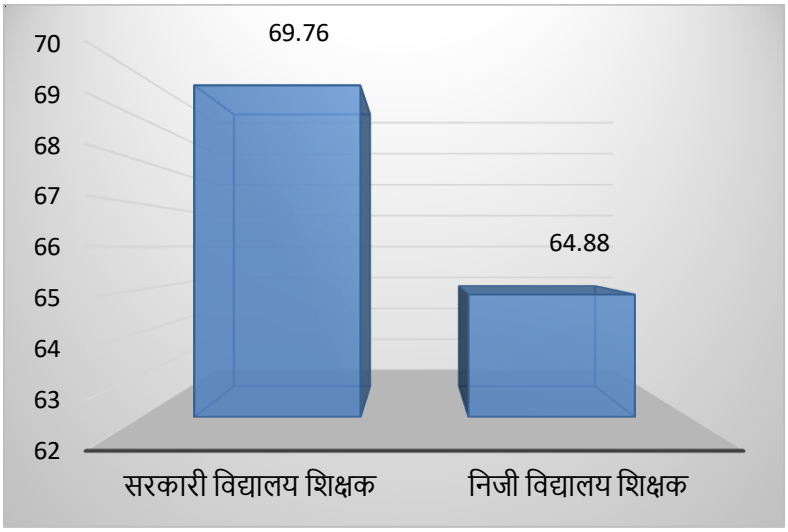

ग्राफ – 1 शिक्षकों का *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)* के प्रति दृष्टिकोण

तालिका संख्या – 01 से यह देखा गया कि गणना की गई 't' मान 0.4039 है, जो 0.05 स्तर पर सारणी मान 1.98 और 0.01 स्तर पर सारणी मान 2.62 से कम है। इसलिए परिणाम दर्शाता है कि *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)* के प्रति दृष्टिकोण में सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय के शिक्षकों के बीच कोई महत्वपूर्ण औसत अंतर नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना (Null Hypothesis) को पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार यह पाया गया कि सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय के शिक्षकों के *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)* के प्रति दृष्टिकोण में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

H_o2: *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति दृष्टिकोण में सरकारी विद्यालय के पुरुष शिक्षकों और महिला शिक्षकों के बीच कोई महत्वपूर्ण औसत अंतर नहीं है।*

तालिका संख्या – 02 सरकारी विद्यालय के पुरुष और महिला शिक्षकों का *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)* के प्रति दृष्टिकोण

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-7| July-2026

शिक्षक का प्रकार	संख्या	माध्य (Mean)	मानक विचलन (SD)	मानक त्रुटि (SED)	"t" मान	स्वतंत्रता की डिग्री (df)	महत्व का स्तर (Level of significance)	H_o1 का परिणाम
सरकारी विद्यालय के पुरुष शिक्षक	30	70.56	6.45	6.55	0.3331	58	0.05 → 2.00	स्वीकार
सरकारी विद्यालय की महिला शिक्षक	30	68.96	6.23				0.01 → 2.66	स्वीकार

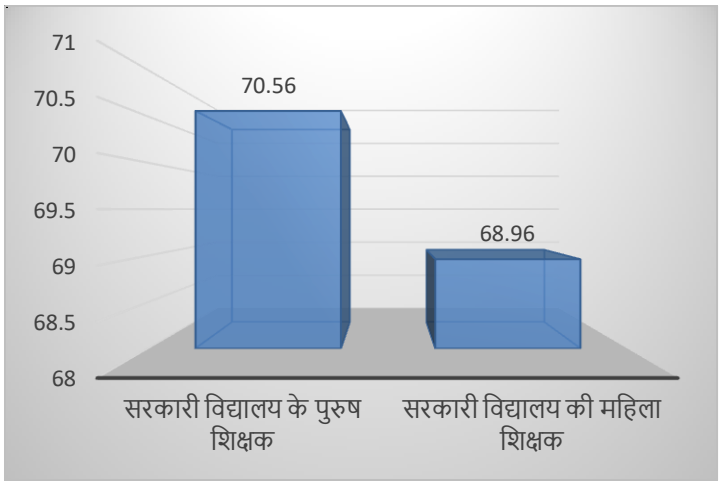

ग्राफ – 02 सरकारी विद्यालय के पुरुष और महिला शिक्षकों का *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)* के प्रति दृष्टिकोण

तालिका संख्या – 02 से यह देखा गया कि गणना की गई 't' मान 0.3331 है, जो 0.05 स्तर पर सारणी मान 2.00 तथा 0.01 स्तर पर सारणी मान 2.66 से कम है। इसलिए परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है और यह दर्शाता है कि सरकारी विद्यालय के पुरुष और महिला शिक्षकों के *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)* के प्रति दृष्टिकोण में कोई महत्वपूर्ण औसत अंतर नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना (Null Hypothesis) स्वीकार की जाती है। इस प्रकार यह पाया गया कि सरकारी विद्यालय के पुरुष और महिला शिक्षकों के *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)* के प्रति दृष्टिकोण में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

H_o3: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति दृष्टिकोण में निजी विद्यालय के पुरुष शिक्षकों और महिला शिक्षकों के बीच कोई महत्वपूर्ण औसत अंतर नहीं है।

तालिका संख्या – 03 निजी विद्यालय के पुरुष और महिला शिक्षकों का *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)* के प्रति दृष्टिकोण

शिक्षक का प्रकार	संख्या	माध्य (Mean)	मानक विचलन (SD)	मानक त्रुटि (SED)	"t" मान	स्वतंत्रता की डिग्री (df)	महत्व का स्तर (Level of significance)	H_o1 का परिणाम
निजी विद्यालय के पुरुष शिक्षक	30	63.63	7.07	7.04	0.1411	58	0.05 → 2.00	स्वीकार
निजी विद्यालय की महिला शिक्षक	30	66.13	5.83				0.01 → 2.66	स्वीकार

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-7| July-2026

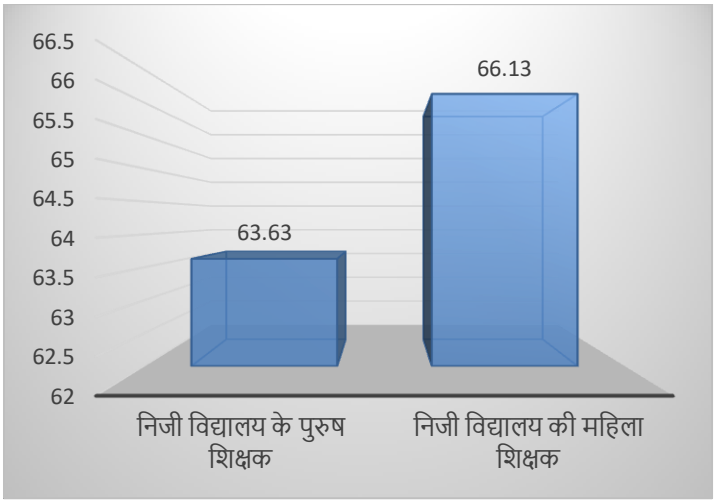

ग्राफ – 03 निजी विद्यालय के पुरुष और महिला शिक्षकों का *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)* के प्रति दृष्टिकोण

तालिका संख्या – 03 से यह देखा गया कि गणना की गई 't' मान 0.1411 है, जो 0.05 स्तर पर सारणी मान 2.00 और 0.01 स्तर पर सारणी मान 2.66 से कम है। इसलिए परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है और यह दर्शाता है कि निजी विद्यालय के पुरुष और महिला शिक्षकों के *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)* के प्रति दृष्टिकोण में कोई महत्वपूर्ण औसत अंतर नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना (Null Hypothesis) स्वीकार की जाती है। इस प्रकार यह पाया गया कि निजी विद्यालय के पुरुष और महिला शिक्षकों के *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)* के प्रति दृष्टिकोण में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

व्याख्या

परिकल्पना **H_o1** (*सरकारी और निजी विद्यालयों के शिक्षकों के दृष्टिकोण में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है*) अस्वीकार की जाती है। इसका अर्थ है कि *सरकारी विद्यालय* और *निजी विद्यालय* के शिक्षकों के दृष्टिकोण में *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)* के प्रति महत्वपूर्ण औसत अंतर पाया गया है। दोनों समूहों के शिक्षक समान रूप से सचेत और जागरूक नहीं हैं। यह परिणाम इस बात की ओर संकेत करता है कि सरकारी और निजी विद्यालयों के शिक्षकों के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण स्तर का अंतर मौजूद है।

परिकल्पना **H_o2** (*सरकारी विद्यालय के पुरुष और महिला शिक्षकों के दृष्टिकोण में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है*) स्वीकार की जाती है। अर्थात् सरकारी विद्यालय के पुरुष और महिला दोनों शिक्षक *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)* के प्रति समान रूप से जागरूक और संवेदनशील हैं। उनके दृष्टिकोण में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया।

परिकल्पना **H_o3** (*निजी विद्यालय के पुरुष और महिला शिक्षकों के दृष्टिकोण में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है*) भी 0.01 स्तर (99% निश्चितता) पर स्वीकार की जाती है। इसका अर्थ है कि निजी विद्यालय के पुरुष और महिला शिक्षक *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)* के प्रति समान रूप से जागरूक और सचेत हैं। उनके दृष्टिकोण में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया।

शैक्षिक निहितार्थ:

1. सरकारी और निजी विद्यालयों के शिक्षकों के दृष्टिकोण में अंतर यह दर्शाता है कि दोनों को *शिक्षा का अधिकार अधिनियम* के प्रावधानों पर समान रूप से जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाओं की आवश्यकता है।
2. पुरुष और महिला शिक्षकों में दृष्टिकोण का समान होना शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता का सकारात्मक संकेत है।
3. निजी विद्यालयों में पुरुष और महिला शिक्षकों का समान दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि विद्यालयी प्रबंधन और नीतियों में लैंगिक दृष्टि से समान अवसर और जिम्मेदारी को महत्व दिया जा रहा है।

निष्कर्ष

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में पारित *"शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act 2009)"* निस्संदेह भारतीय शिक्षा प्रणाली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस अधिनियम ने पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किए और 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। इस अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों, अभिभावकों, शिक्षकों तथा विद्यालयों के प्रधानाचार्यों पर अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निर्धारित कीं। इस अधिनियम के कारण शिक्षकों की भूमिका भी बहुत व्यापक हो गई, जिसमें बच्चों के प्रवेश, बनाए रखना, परीक्षा और 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे की प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करना शामिल है। हालाँकि, इस अधिनियम के कुछ पहलुओं को वास्तविक परिस्थितियों में शिक्षकों के लिए लागू करना कठिन प्रतीत होता है। फिर भी, वर्तमान अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि शिक्षक *RTE Act* में निहित प्राथमिक शिक्षा से संबंधित लगभग सभी प्रावधानों के प्रति सकारात्मक और अनुकूल दृष्टिकोण रखते हैं।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-7| July-2026

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. पांडेय, शशांक एवं भारद्वाज, पीहू। (2024). 2009 के बाल अधिकार अधिनियम: नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल्यांकन। व्यावसायिक शिक्षा में अनुसंधान पत्रिका, 6, 36-39. 10.53469/jrve.2024.06(07).09।
2. मालवणकर, अल्का। (2018). प्राथमिक विद्यालय शिक्षा और शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009। समाजशास्त्रीय बुलेटिन, 67, 003802291877550. 10.1177/0038022918775503।
3. सेनगुप्ता, महुआ एवं बर्मन, प्रणब। (2024). दक्षिण दिनाजपुर जिले के आदिवासी अभिभावकों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की जागरूकता: एक अध्ययन। रिसर्च रिव्यू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी, 9, 01-07. 10.31305/rrijm.2024.v09.n04.001।
4. मंडल, श्रीकांत एवं बर्मन, प्रणब। (2014). भारत में प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों का शिक्षा के अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति दृष्टिकोण। 19, 01-09. 10.9790/0837-191170109।
5. घोष, डॉ. जयंता। (2013). शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009: मुद्दे और चुनौतियाँ। SSRN इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, 10.2139/ssrn.2231197।
6. कुमारी, सुधा एवं अल्लम, मोहम्मद। (2019). प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रति जागरूकता। यूरोपीय अकादमिक शोध, II, 983-995।
7. नांदेंकर, उज्जवल। (2009). शिक्षा का अधिकार और बालकों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009। SSRN इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, 10.2139/ssrn.2271976।
8. घोष, सोहिनी। (2024). नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम (2009) का कार्यान्वयन: पश्चिम बंगाल के पोल्बा ग्राम पंचायत का एक अध्ययन। इकोह्यूमनिज्म जर्नल, 3, 676-686. 10.62754/joe.v3i3.3444।
9. जॉर्ज, टोनी। (2014). शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति अभिभावकों की जागरूकता।
10. वीराराघवन, विमला। (2022). भारत में स्कूल छोड़ने की स्थिति और बालकों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 का प्रभाव। 10.1007/978-981-16-9820-0_20।
11. वल्वी, डॉ., जाधव, प्रीति एवं सोनवाणे, प्रोफेसर। (2021). नंदुरबार तहसील के शहरी स्कूलों में आदिवासी बालिकाओं की शिक्षा पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का प्रभाव: एक अध्ययन। ग्लोबल जर्नल ऑफ ह्यूमन-सोशल साइंस, 47-50. 10.34257/GJHSSGVOL21IS5PG47।
12. गर्जे, अमरदीप। (2011). शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009। SSRN इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, 10.2139/ssrn.1834282।
13. सिंह, जोगिंदर। (2019). शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 का मूल्यांकन: हरियाणा का एक अध्ययन। इतिहास शोध पत्रिका, 5, 270-276. 10.26643/hrj.v5i4.7747।
14. शर्मा, अपराजिता एवं मित्रा, सुष्मिता। (2023). स्कूलों का युक्तिकरण और बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर इसका प्रभाव: शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के उल्लंघन की कथाएँ। सामाजिक परिवर्तन पत्रिका, 53, 500-517. 10.1177/00490857231203418।
15. विश्वजीत और शर्मा, नेहा (2023)। "शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की ग्रामीण भारत में हाशिए पर मौजूद समुदायों को सशक्त बनाने में भूमिका: एक क्षेत्रीय विश्लेषण।" शोधकोश: जर्नल ऑफ़ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। 4। 10.29121/shodhkosh.v4.i2.2023.3816।
16. खिरिया, मेहा (2021)। "बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन।" नेशनल जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च। 2, 476-482। 10.53571/NJESR2021.2.5.476-482।
17. चक्रवर्ती, राजेश और सन्याल, कौशिकी (2017)। "शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तक की यात्रा।" 10.1093/oso/9780199475537.003.0005।